

राजस्थान सरकार  
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: राम/प-2(13)रातस/बैच-31/2024/पार्ट-1/ 8815

दिनांक :20.09.2024

आदेश:-

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग की अनुशंषा के आधार पर राजस्व मण्डल के आदेश क्रमांक 10053 दिनांक 24.12.2021 द्वारा राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमावली 1956 के नियम 34 के तहत निम्नांकित अभ्यर्थियों को नायब तहसीलदार के पद पर दो वर्ष की परीक्षा काल पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। इनके द्वारा पूर्व में नायब तहसीलदार हेतु निर्धारित पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया था।

मण्डल के समसंख्यक आदेश क्रमांक 3676 दिनांक 31.05.2024 के द्वारा बैच-31 हेतु नियत प्रशिक्षण अवधि दिनांक 27.05.24 से 29.11.24 तक में श्री नरेन्द्र कुमार एवं जयनित पाठक को आधारभूत प्रशिक्षण (दिनांक 27.5.24 से 8.7.24 तक) में एवं नीतू पारीक को आधारभूत, भू-प्रबंध व संस्थागत प्रशिक्षण (दिनांक 27.5.24 से 19.9.24 तक) में सम्मिलित होने हेतु आदेशित किया गया।

अतः बैच-31 हेतु नियत प्रशिक्षण अवधि दिनांक 27.05.24 से 29.11.24 तक में निम्नांकित नायब तहसीलदारों को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में नाम के सम्मुख अंकित प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है :-

क.सं.	नाम सर्वश्री	प्रशिक्षण
1	नीतू पारीक	कृषि प्रशिक्षण (दिनांक 20.09.2024 से 04.10.2024 तक)
2	नरेन्द्र कुमार	कृषि प्रशिक्षण, व्यावहारिक प्रशिक्षण, परीक्षा की तैयारी एवं परीक्षा (दिनांक 20.09.2024 से 29.11.2024 तक)
3	जयनित पाठक	कृषि प्रशिक्षण, व्यावहारिक प्रशिक्षण, परीक्षा की तैयारी एवं परीक्षा (दिनांक 20.09.2024 से 29.11.2024 तक)

आदेशानुसार

( सुनीता यादव )  
उप निबंधक

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

क्रमांक सम/8816-50

दिनांक: 20.09.2024

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, मा. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
- 2- संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 3- आयुक्त, भू-प्रबंध विभाग राजस्थान जयपुर।
- 4- जिला कलक्टर भीलवाड़ा/डूंगरपुर/बांसवाड़ा।
- 5- निदेशक, आर.आर.टी.आई. अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि इनके बकाया प्रशिक्षण समाप्ति उपरान्त उक्त नायब तहसीलदारों को पूर्व पदस्थापन हेतु कार्यमुक्त करावें। साथ ही पूर्व बैच में किसी प्रशिक्षणार्थी का प्रशिक्षण बकाया हो तो शीघ्र अवगत करावें।
- 6- सम्बंधित श्री.....
- 7- आदेश पंजिका/निजी पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by सुनीता यादव  
Date: 2024.09.20 18:25 IST  
Reason: Approved

